

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केस कोर्ट) **केस रायपुरिया**

पीठासीन अधिकारी - **राहुल सेनी R.A.S.**

अबू सिंह अदि

राजस्थान सरकार

नाम दुकली U/S 88 R.T.A.

संख्या - 99 / 2021

दिनांक - 17.11.2021

कादी की ओर से

स्वयं

के प्रति

पैरोवार राज

श्री राहुल सेनी R.A.S.

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17-11-2021

(नाम पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चूरु के द्वारा अंतिम निष्पत्ती के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - **दावा कादीगण**

स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खाता संख्या 14 शेही ग्राम रायपुरिया में अंकित खलेदों के स्वामी नाम आसू सिंह, राजवीर सिंह, विजय सिंह पि० किशोर सिंह के स्थान पर अबू सिंह, राजवीर सिंह, विक्रम सिंह पि० किशोर सिंह डुकस्त करने का आदेश दिया जाता है तत्समवाय चूरु अफ्तानुसार राजस्व रिबॉर्ड में अमल दरमद करें।

इस वाद में आज तारीख 17-11-2021

दिनांक 17-11-2021

(Signature)

(राहुल सेनी)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्च

वादी	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. अर्जी के लिए स्टाम्प	पट्टी की फीस	
4. अर्जी के लिए स्टाम्प	सुनदियां के लिए निहाह कर	
5. सुनदियां के लिए निहाह कर	आदेशिका को शामिल	
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की सुनदियां		

